1. [illegible] पुत्र फूसाराम
जाति जाट निवासी जाटों की ढाणी, सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पैलादराम पुत्र फूसाराम
   जाति जाट निवासी जाटों की ढाणी, सिंधासवाहरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. मोड़ाराम पुत्र तेजाराम
3. खंगाराराम पुत्र तेजाराम
4. हीराराम पुत्र तेजाराम
   जाति जाट निवासी मीरपुरा पोस्ट गुदाऊं वाया रानीवाडा तहसील सांचोर जिला जालोर
5. चैनाराम पुत्र भीमाराम जाति रबारी निवासी जाटों की ढाणी सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री रिडमलराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :–22–01–2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत पटवार सिन्धासवा हरनियान के राजस्व ग्राम जाटों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 331 रकबा 0–06 बीघा, खसरा नम्बर 348/3 रकबा 11–00 बीघा, खसरा नम्बर 348/4 रकबा 4–10 बीघा, खसरा नम्बर 565/2 रकबा 17–13 बीघा कुल रकबा 33–09 बीघा का नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.29 18:11:13 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण की विद्वा[illegible] [illegible]क्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का [illegible] के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 सरहद मौ[illegible] जाटों की ढाणी [illegible] खसरा नम्बर 331 रकबा 0–06 बीघा, खसरा नम्बर 348/3 रकबा 11–00 बीघा, खसरा नम्बर 348/4 रकबा 4–10 बीघा, खसरा नम्बर 565/2 रकबा 17–13 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर

खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा जाटों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 331 रकबा 0–06 बीघा, खसरा नम्बर 348/3 रकबा 11–00 बीघा, खसरा नम्बर 348/4 रकबा 4–10 बीघा, खसरा नम्बर 565/2 रकबा 17–13 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.29 18:11:13 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 22.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

दिनांक 22/01/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

22/01/21 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को रजि० डाक द्वारा दिनांक 04/01/21 को समन भेजे गये। निर्धारित तिथि को विपक्षीगण अनुपस्थित रहे हैं। विपक्षीगण को कोर्ट समय के तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के विपक्षीगण अनुपस्थित। अतः विपक्षीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर वकील प्रार्थी के बहस सुनी। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार सा. को तहरीर जारी हो। [illegible] होने पर शामिल पत्रावली की जावे। [illegible] तैयार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.29 18:11:13 IST
Reason: SelfAttested